गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आबंटन

615. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 के लिए सरकार द्वारा गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों यथा-पंचमहल, कच्छ, बनासकांठा, सावरकांठा, भरूच और डांग में केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त सहायता जारी करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान हेतु कितनी राशि व्यय की गई और कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि विवरण में दी गई है **(नीचे देखिये)**

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनुबंध के अनुसार।

विवरण

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी विकास के लिए वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान गुजरात के लिए निर्मुक्त धनराशि तथा इसके उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	योजना	वर्ष			
		1995-96		1996-97	
		निर्मुक्त धनराशि	सूचित उपयोग	निर्मुक्त धनराशि	सूचित उपयोग
1.	विशेष केन्द्रीय सहयता	3060.26	2559.24	2640.95	2948.24
2.	अनुच्छेद 275(1)	675.00	675.00	675.00	684.51
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	52.31	51.56	101.90	सूचना नहीं
4.	अनुसंधान प्रशिक्षण	0.14	0.14	—	—
5.	लड़कियों के होस्टल	—	—	—	—
6.	लड़कों के होस्टल	—	—	—	—
7.	आश्रम स्कूल	—	—	21.60	—
8.	एसटीडीसीसी को अनुदान (गुजरात वन निगम)	—	—	50.00	सूचना नहीं
9.	ग्राम अन्न बैंक	—	—	17.92	सूचना नहीं

लघुमति जाति की श्रेणी के अंतर्गत जैन संप्रदाय

616. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जैन संप्रदाय और जैन धर्म को लघुमति जाति की श्रेणी के अन्तर्गत रखने संबंधी सरकार के विचार के विरूद्ध सांसदों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकर ने जैन संप्रदाय और जैन धर्म को यथावत हिन्दू धर्म की श्रेणी में बने रहने संबंधी सांसदों के ज्ञापन और जैन मुनियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इस संबंध में सरकार कब तक अंतिम निर्णय ले लेगी?